

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नम्बर 1567 / 2011 जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत, झुन्झुनु

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिव शक्ति एन्टर प्राईजेज,  
बरवाडा हाऊस कॉलोनी, अजमेर रोड,  
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

### एकलपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित:

श्री आर.के.अजमेरा,

उपराजकीय अभिभाषक

---

.... अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक 19.03.2015

### निर्णय

यह अपील सरकार की ओर से अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.03.2011 जिसे उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने पारित किया है, प्रस्तुत की गयी है।

उप राजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा उपस्थित। प्रत्यर्थी एवं उसके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उप राजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा का कहना है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत, झुन्झुनु के कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2009 को निरस्त कर दिया। उनका कहना है कि उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर का आदेश नियम विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे खारिज किया जाय।

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार अप्रार्थी मैसर्स शिव शक्ति एन्टर प्राईजेज दिनांक 20.08.2007 से 19.11.2008 तक की अवधि के लिये झुन्झुनु एवं सीकर जिलों में बजरी एवं चेजा पत्थर का कर संग्रहण हेतु विभागीय शर्तों के अनुसार ठेकेदार नियुक्त हुआ। ठेका निविदा की शर्त संख्या 31 के अनुसार ठेकेदार को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 44 के क्लॉज जे के अनुसार ठेके को कर संग्रहण केलिये प्रभावित किया गया। रसीद

बुकें वेट 39 जो कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी की गयी थी, ठेका समाप्ति के बाद तुरन्त विभाग में जमा करानी थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बार-बार स्मरण कराये जाने के बाद भी ठेकेदार द्वारा आइ रसीद बुकें उनके समक्ष जमा नहीं करायी गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि ठेकेदार द्वारा रसीद बुकों का दुरुपयोग किया गया है व उनके द्वारा प्रत्येक रसीद बुक पर रू. 08,750/- व इस प्रकार कुल रू. 70,000/- की राशि वसूल किया जाना माना गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 77(5) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 में कर की दुगनी शस्ति भी आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के समक्ष अपील दायर की जिसे स्वीकार करते हुये उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2011 द्वारा आंशिक स्वीकार किया और धारा 77(5) में आरोपित शास्ति अपास्त कर दी। इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी सरकार ने यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थी सरकार ने आग्रह किया कि उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 28.03.2011 को निरस्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि अप्रार्थी ने आठ रसीद बुकें कर निर्धारण अधिकारी को जमा नहीं करायी है। अपने अपीलाधीन आदेश में उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने यह माना है कि अप्रार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उक्त रसीद बुकों को खोया जाना घोषित किया। रिकार्ड के अवलोकन से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने यह भी माना है कि ठेकेदार द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष किसी भी समय यह नहीं बताया कि उसकी रसीद बुकें कब व कैसे खोई। इस हेतु सूचना समाचार पत्रों में भी अप्रार्थी ने प्रकाशित नहीं करायी जो एक वांछित सामान्य प्रक्रिया है। इस बिन्दु पर उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित राशि रू. 70,000/- को यथावत रखा है। परन्तु उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने आरोपित शास्ति रू. 01,40,000/- को न्याय संगत नहीं माना है क्योंकि यह शास्ति धारा 77(5) के अन्तर्गत आरोपित की गयी है। उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने माना है कि धारा 77(5) की शास्ति तब ही आरोपित की जा सकती है जबकि धारा 77(4) का उल्लंघन किया गया हो।

परन्तु जब अप्रार्थी ने रसीद बुकें जमा नहीं करायी है तो यह मान लेना भी उचित होगा कि उसने किस दर से कर का संग्रहण किया है यह बताया जाना निश्चित नहीं है। रसीद बुकों के गुम हो जाने पर धारा 77(4) के उल्लंघन में कर का संग्रहण किया है जिसके लिये वह धारा 77(5) के अन्तर्गत उत्तरदायि है। उल्लेखनीय है कि धारा 77 (4) व (5) निम्न प्रकार है -

धारा 77(4) - The contractor shall not collect tax on the goods under sub-section (1) exceeding the amount of tax leviable thereon under the provisions of this Act.

धारा 77(5) - Where a contractor violates the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorized by the commissioner, shall, after affording an opportunity of being heard, direct that such contractor shall pay by way of penalty, in addition to the amount of excess tax collected, a sum equal to double the amount of excess tax collected by him or any other person on his behalf.

ऐसी स्थिति में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 77(5) में जो शास्ति आरोपित की है वह उचित है और इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 20.05.2009 में आंशिक रूप से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है जैसाकि उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2011 में माना है।

फलतः प्रार्थी सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 28.03.2011 को अपास्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 20.05.2009 को पुनः बहाल किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष